

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.6	प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(बी)(vi)]	(i) दस्तावेजों की श्रेणियां	<p>दस्तावेजों की श्रेणियाँ: - दस्तावेजों को गोपनीय (जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता) और सामान्य के संदर्भ में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।</p> <p>1. निम्नलिखित सामान्य दस्तावेज हैं जो विभाग द्वारा अपने संचालन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए रखे गए हैं:</p> <p>1. संस्था के अंतर्नियम और संगम ज्ञापन</p> <p>2. व्यापार और कार्य के संचालन के लिए विकसित नियमावली।</p> <p>क) एचआर मैनुअल,</p> <p>ख) ऋण चुकौती मैनुअल (डोमेस्टिक और इंटरनेशनल)</p> <p>ग) खरीद मैनुअल,</p> <p>घ) सतर्कता मैनुअल,</p> <p>ड) संसाधन जुटाव मैनुअल (डोमेस्टिक और इंटरनेशनल),</p> <p>च) निवेश मैनुअल,</p> <p>छ) जोखिम प्रबंधन नीति आदि।</p> <p>ज) कंपनी के व्यवसाय के संचालन से संबंधित अन्य दस्तावेज</p> <p>3. प्रचालन नीति वक्तव्य।</p>

आरटीआई प्रकटीकरण

			<p>ii. गोपनीय दस्तावेज, जिन्हें अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है, वे इस प्रकार हैं:</p> <ol style="list-style-type: none">1. वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को हानि पहुंचेगा।2. प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए जांच संबंधी रिकॉर्ड का अनुपालन किया गया, किंतु केवल उस सीमा तक जो निम्नलिखित निर्दिष्ट हितों में से किसी को हानि पहुंचाएगा:<ol style="list-style-type: none">क) प्रवर्तन कार्यवाहीख) निष्पक्ष सुनवाई या निष्पक्ष न्यायिक निर्णयग) व्यक्तिगत गोपनीयताघ) जांच सूत्रों की गोपनीयताड) कानून लागू करने वाले कर्मियों की तकनीक, प्रक्रिया और सुरक्षा।3. किसी व्यक्ति को उसकी फिड्युशरी पोजिशन (fiduciary position) में उपलब्ध सूचना।4. विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना।5. सूचना, जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।
--	--	--	--

आरटीआई प्रकटीकरण

			<p>6. ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित नहीं है या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।</p> <p>7. सूचना जो विशेष रूप से विधि द्वारा प्रकटन से छूट प्राप्त है।</p> <p>8. सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा।</p> <p>9. सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या इसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है।</p> <p>10. सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।</p> <p>11. कोई अन्य दस्तावेज जिसे प्रबंधन अपने विवेकाधिकार से गोपनीय रखने का निर्णय लेता है।</p>
		<p>(ii) दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक</p>	<p>दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक:- निगम द्वारा रखे गए दस्तावेज सामान्यतः संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निगम के संदर्भ के लिए होते हैं।</p> <p>संगत दस्तावेजों का अभिरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष होगा।</p>